विश्वभारती, शांतिनिकेतन

राजभाषा प्रकोष्ठ

<u>परिपत्र</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा 29 मई, 2023 को विश्वभारती, शांतिनिकेतन का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिए गए :

1. विश्वभारती केंद्रीय पुस्तकालय की क्रय हेतु व्यय राशि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत 50% हिंदी पुस्तकों (ई-पुस्तक, सीडी, डीवीडी, व अनुवादित पुस्तकों सहित) की खरीद पर व्यय किया जाए।
2. सेवा पंजिका की प्रविष्टियाँ द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी) में अंकित नहीं हैं। इसे द्विभाषी की जाए।
3. अकादमिक विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा प्रशासनिक कार्यों हेतु परिचालित मिसिलों पर हिंदी में टिप्पण लिखे जाएं।
4. विश्वविद्यालय वेबपटल को यथाशीघ्र द्विभाषी किए जाएं।
5. हिंदी में 'प्राज्ञ' प्रशिक्षित अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा समस्त कार्यालयीन कामकाज हिंदी में किए जाएं।
6. प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक का आयोजन करवाए जाएं।
7. हिंदी में कामकाज हेतु लिपिक वर्ग को समुचित हिंदी टंकण प्रशिक्षण दिलाए जाएं। हिंदी टंकण करनेवाले कर्मचारी व आशुलिपिकों की 40% तक की सीमा अनुरूप भर्ती सुनिश्चित की जाए।
8. धारा 3 (3) का अनुपालन किए जाएं।
9. विश्वविद्यालय अधिनियम एवं विधान अध्यादेश व विनियम आदि द्विभाषी रूप में विश्वविद्यालय के वेबपटल पर उपलब्ध करवाए जाएं।

मानवेंद्रनाथ साहा
12.07.23

कुलसचिव (कार्यकारी)

कुलसचिव (कार्यवाहक)
विश्वभारती
Registrar (Acting)
Visva-Bharati